

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

पत्रांक : 86/प्र030-गव-न/जेन-1/शमन/2013-14 दिनांक 5/07/2014

विनियमितीकरण स्वीकृति-पत्र

एह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शमन मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इतका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्किरत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री भूसारी लाल अग्रवाल एवं श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा नजूल मूखण्ड संख्या-49 (पाटी) सिविल स्टेशन इलाहाबाद जेन संख्या (1) के अन्तर्गत दायित्व विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन/देश दिनांक 04.07.2014 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. स्थल पर रेन्टाटर चार्जेसिंग प्रणाली शर्तों के तहत रखने की जिम्मेदारी आवेदक/कर्ता की होगी।
2. स्थल का अधिमोन/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2013/इल.0/322/सि0ला0/159 दिनांक 09 जून, 2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षर-शः अनुसरण करना होगा तथा नियमानुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर नदीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
4. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति नू स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। नू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी शिवाद् सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरतारित किया जा सकता है।
5. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र गिरस्त करने योग्य होगा।
6. गक्रान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भग (जो मजान के अग्र भाग, पूरु भाग अथवा उसके अन्तर्गत के धरण तक गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहस्थानी उसी त्वेलम्बाम 15 दिव के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित सुनवावधि के अन्दर नरन्त करारकर पूर्ववत् अवस्था पुनःस्थापित करना अनिवार्य होगा।

05/07/2014
(पुष्कर श्रीवास्तव)

उभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

De

